संख्या-52/2015/2440 सी0डी0/46-3-15-1000(66)/2014

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, हापुड, बुलन्दशहर, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़,
पीलीभीत,लखीमपुर, फैजाबाद, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2015

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित अतिरिक्त धनराशि के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 40/2015/1623सी0डी0/46-3-14-1000(66)/2014, दिनांक 31.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 27 सडकों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के अनुसार **कुल रू0 12,54,71,400/- (रू0 बारह करोड़ चौवन लाख इकहत्तर हजार चार सौ मात्र)** की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत, योजना हेतु निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार, शासकीय अंशदान के रूप में, अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि **रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र)** के सापेक्ष, **संलग्न विवरण के अनुसार** शासकीय अंशदान की वित्तीय स्वीकृति सहित एकमुश्त रूप से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आंवटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित सड़कों के निर्माण का कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

4- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जायेगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

5- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 तथा शासनादेश संख्या ए-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य/देय होगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था-अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष, व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/ 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं अन्य आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद/ कार्य में न किया जाय।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग कर लिये जाने के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या, समेकित रूप से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015** एवं वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय **ज्ञाप संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/ 2015, दिनांक 26 अगस्त, 2015** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-52/2015/2440(1)सी0डी0/46-3-15-1000(66)/2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर.एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
12- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-52/2015/2440 सी0डी0 /46-3-15-1000(66)/2014 दिनांक 04 नवम्बर, 2015 का संलग्नक

अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण(जिला योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में सड़कों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-23(सामान्य/आयोजनागत) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना(जनपद/सडकवार)/ वित्तीय स्वीकृति

क्र0	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आंकलित लागत (ला0 रू0 में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0 रू0 में)	सेन्टेज की धनराशि (ला0 रू0 में)	मार्ग के निर्माण हेतु, सेन्टेज रहित, राज्यांश (ला0 रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर	1	चीनी मिल सरसावा यार्ड से सहारनपुर अम्बाला मार्ग की ओर दोनो तरफ	1.300	56.820	45.32	4.99	40.33
		1	**योग**	**1.300**	**56.820**	**45.32**	**4.99**	**40.33**
2	हापुड़	1	खागोई खेडा मार्ग से खेडा शिव मन्दिर तक	0.590	25.945	20.68	2.28	18.40
		2	जोगीपुरा से मालियो की मैढियों की ओर	0.600	32.145	25.62	2.82	22.80
		2	**योग**	**1.190**	**58.090**	**46.30**	**5.10**	**41.20**
3	बुलन्दशहर	**1**	जहांगीराबाद अमरगढ़ रोड से दुलेखरा मार्ग	1.000	47.960	38.22	4.21	34.01
		2	नित्यानन्दपुर नंगली से कल्याणपुर सम्पर्क मार्ग	1.100	53.525	42.66	4.70	37.96
		3	मडौना से एलावास बातरी अवशेष भाग	1.200	68.072	54.25	5.98	48.27
			योग-	**3.300**	**169.557**	**135.13**	**14.89**	**120.24**
4	बिजनौर	1	इनामपुर से तैयबपुर काजी	1.400	61.688	49.32	5.43	43.89
		2	मुर्रशदपुर रेलवे स्टेशन से अलावलपुर	0.780	37.006	29.49	3.25	26.24
		3	नरैनी की सड़क से नहर की पटरी होते हुये करौन्दा चैधर	1.145	51.222	40.82	4.50	36.32
		3	**योग**	**3.325**	**150.116**	**119.63**	**13.18**	**106.45**
5	बरेली	1	बबूरी से नवादा इकरामुल्ला मार्ग	1.050	55.470	44.21	4.87	39.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		2	एन0एच0-24 से खजनपुर मार्ग	0.380	15.800	12.59	1.39	11.20
		3	मोहनपुर से ढढरूआ मार्ग	1.050	47.630	37.96	4.18	33.78
		4	सैनौरा गोटिया से शहबाजपुर मार्ग	1.150	51.330	40.91	4.51	36.40
		4	**योग**	**3.630**	**170.230**	**135.67**	**14.95**	**120.72**
6	अलीगढ़	1	पनेठी साधू आश्रम रोड से ढसन्ना सम्पर्क मार्ग का द्वितीय भाग	0.450	19.540	15.57	1.72	13.85
		1	**योग**	**0.450**	**19.540**	**15.57**	**1.72**	**13.85**
7	पीलीभीत	1	आसाम रोड गोमती गुरूद्वारे से नवदिया मनहरिया कला खुर्द	1.000	55.261	44.04	4.85	39.19
		1	**योग**	**1.000**	**55.261**	**44.04**	**4.85**	**39.19**
8	लखीमपुर	1	शेहरूआ बंजरिया मार्ग से पचकोरवा चैराहा	0.730	38.520	30.70	3.38	27.32
		2	सोनौआ से नगरा मार्ग	1.200	60.320	48.07	5.29	42.78
		2	**योग**	**1.930**	**98.840**	**78.77**	**8.67**	**70.10**
9	फैजाबाद	1	हरदोईया से तिवारीपुरवा मार्ग	1.100	49.730	39.63	4.37	35.26
		2	जहाँनपुर से धन्जों मार्ग	0.710	37.620	29.98	3.30	26.68
		2	**योग**	**1.810**	**87.350**	**69.61**	**7.67**	**61.94**
10	गोण्डा	1	बल्लीपुर चैराहा से चांदपुर	1.200	61.700	49.17	5.42	43.75
		2	लखपतनगर रेलवे स्टेशन के पीछे से मनकापुर मसकनवां मार्ग से बेनीपुर	0.700	36.710	29.26	3.22	26.04
		3	गुरूथनिया सम्पर्क मार्ग से विसेनपुरवा तक	1.100	64.500	51.41	5.66	45.75
		4	परसापुर कालीकुण्ड चैराहा से रसूलपुर मदरसा तक	0.550	29.540	23.54	2.59	20.95
		4	**योग**	**3.550**	**192.450**	**153.38**	**16.89**	**136.49**
11	बलरामपुर	1	मुडाडीह प्राइमरी स्कूल वाया बिलासपुर से छोटका बिलासपुर	1.140	60.690	48.37	5.33	43.04
		2	तिलकपुर बालपुर मार्ग से लालबोझी पेन्टेड तक	0.800	51.830	41.31	4.55	36.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		3	बेलवा सुल्तानजोत मार्ग से ज्योनार	0.450	22.620	18.03	1.99	16.04
		3	**योग**	**2.390**	**135.140**	**107.71**	**11.87**	**95.84**
12	बहराइच	1	पयागपुर हुजुरपुर मार्ग से न्यू हवेली जलालपुर रोड तक	0.350	18.980	15.13	1.67	13.46
		2	कुण्डासुर जैतापुर मार्ग से कन्दौसापुरवा तक	0.750	42.340	33.74	3.72	30.02
		2	**योग**	**1.100**	**61.320**	**48.87**	**5.39**	**43.48**
			कुल योग	**24.975**	**1254.714**	**1000.00**	**110.17**	**889.83**

(रू0 दस करोड़ मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।